एआई का उपयोग करने वाले कर्मी भरोसेमंद नहीं

अध्ययन



- कर्मचारियों के करियर पर असर डाल रहा है एआई
- काम के मूल्यांकन और पदोन्नति पर बुरा प्रभाव

नई दिल्ली, एजेंसी। दफ्तर में काम के लिए चैटजीपीटी और दूसरे एआई टूल का इस्तेमाल करना कर्मचारियों के करियर पर असर डाल सकता है।

नए अध्ययन के मुताबिक, एआई की मदद से काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिकारी कम भरोसा करते हैं। इससे उनके काम के मूल्यांकन और प्रमोशन की संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। प्रयोग में पाया गया कि बिना एआई की मदद से काम करने वाले कर्मचारियों पर मैनेजर ने 68 फीसदी मामलों में भरोसा जताया। वहीं, एआई की मदद लेने वाले कर्मचारियों के मामले में यह आंकड़ा घटकर 24 फीसदी रह गया। एआई का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को अधिकारी कम भरोसेमंद और कम प्रभावी मान सकते हैं। इससे उनकी पदोन्नति की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

हालांकि, कंपनियों की स्पष्ट नीतियां इस स्थिति को बदल सकती हैं। जिन संस्थानों ने कर्मचारियों को एआई इस्तेमाल करने की अनुमति दी या इसके लिए प्रोत्साहित किया, वहां भरोसे में कमी का असर नहीं दिखा।

अलमारी में 40 वर्ष से रखी थी पेंटिंग

न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मशहूर चित्रकार जॉर्जिया ओ'कीफ की एक पेंटिंग करीब 40 साल बाद सामने आई है।

'नियर अबिक्यू, न्यू मैक्सिको-1' नाम की यह पेंटिंग एक अपार्टमेंट की अलमारी में फर कोट के नीचे रखी हुई थी। इसकी खोज मालिक महिला की भतीजी बेट्सी ने की। महिला को यह पेंटिंग 1960 के दशक में उनकी मां ने ग्रेजुएशन के तोहफे के रूप में दी थी। 1930 में बनी इस पेंटिंग में न्यू मैक्सिको का लोबो पीक पहाड़ दिखाया गया है। इसे 17 नवंबर को क्रिस्टीज नीलामी घर में बेचा जाएगा।

इसकी कीमत 20 से करीब 18 से 27 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पेंटिंग 7 नवंबर से नीलामी घर में प्रदर्शित की जाएगी।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

तनावग्रस्त अस्तियाँ प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेलः colcksam@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी प्रक्रिया से ''वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रर्वतन अधिनियम-2002 के अन्तर्गत जो प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / 9(1) के साथ पठित है, अचल/चल सम्पत्तियों की ब्रिकी के लिए सार्वजनिक सूचना।

जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, जमानतकर्ताओं, बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल/चल संपत्ति (यों) जिन्हें बैंक के पक्ष में गिरवी / बंधक रखा गया था एवं जिनका रचनात्मक कब्जा (सांकेतिक / भौतिक) पंजाब नैशनल बैंक (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की ई-नीलामी ''जहाँ है जैसा है'', ''जहां है जो है'' और ''जो भी हो'' के अनुसार निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं), बंधककर्ता(ओं) और जमानतकर्ताओं से प्रतिभूत राशि की वसूली के लिए की जाएगी। बिक्री की तारीख, आरक्षित मूल्य, ई.एम.डी. राशि एवं अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण (कोई अधिभार ज्ञात नहीं) निम्नानुसार है। ऋणियों / जमानतकर्ताओं / बंधककर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बिक्री हेतु बंधक सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता का विवरण / ऋणी/जमानतकर्ता/खाता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधक/सम्पत्ति मालिक का नाम (बंधक सम्पत्ति/यों) (परिसम्पत्ति से संबंधित सभी भाग एवं हिस्सों सहित)	(अ) डिमाण्ड नोटिस की तिथि 13(2) सरफेसी नियम 2002 / (ब) बकाया राशि / (स) कब्जा की तिथि, 13(4) सरफेसी नियम 2002 / (द) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	(अ) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / (ब) धरोहर धनराशि (ई.एम.डी. जमा करने की अन्तिम तिथि) / (स) वृद्धिशील बिड धनराशि
धरोहर राशि जमा करने हेतु-खाता संख्याः 827200317118A (IFS Code-PUNB0827200)				
प्राधिकृत अधिकारी-श्री निलेश कुमार झा, मुख्य प्रबन्धक, तनावग्रसत अस्तियां प्रबन्धन, मण्डल कार्यालय लखनऊ, मो0 +91 9610727388, 8400313926				
ई-नीलामी की तिथि व समयः 26.11.2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 04:00 बजे तक, धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथिः 25.11.2026				
1.	शाखा का नामः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा सप्रू मार्ग, लखनऊ 030220) / खाते का नामः मैसर्स हर्ष एंटरप्राइजेज / खाता संख्याः 0302250011909 / उधारकर्ताः मेसर्स हर्ष एंटरप्राइजेज प्रोप0 श्री अमर सिंह पताः मकान नंबर एफ-3781 राजाजीपुरम लखनऊ यूपी-226017 / प्रोप0/बंधककर्ताः अमर सिंह पुत्र तारा सिंह पता (1) मकान नंबर एफ-3781 राजाजीपुरम, लखनऊ यूपी-226017 पता (2) मकान नंबर 223 आदर्श नगर, शिवदासपुर, मंडुवाडीह वाराणसी यूपी-221103	प्लॉट नंबर 19-ए (प्लॉट नंबर 19 का एक भाग) पर स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं भूखण्ड,खसरा नंबर 352 का मिनजुमला वार्ड हैदरगंज, गाँव और मोहल्ला मप्टामऊ, लखनऊ, क्षेत्रफल 57.166 वर्ग मीटर। डीड के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नंबर 19 का शेष भाग (विक्रेता) पश्चिमः प्लॉट नंबर पी-21 उत्तरः 09 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिणः प्लॉट नंबर पी-20 / स्वामित्व-अमर सिंह	(अ) 12.06.2019 / (ब) रू. 15,22,944.55 दिनांक 31.03.2026 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो वसूली घटाकर, 01.04.2026 से प्रभावी / (स) 15.10.2019 / (द) सांकेतिक कब्जा	(अ) रू. 11,60,000/- / (ब) रू. 1,16,000/- दिनांक 25.11.2026 / (स) रू. 10,000/-
2.	शाखा का नामः मण्डल सैम लखनऊ (मूल शाखा छाता मिल, लखनऊ 167000) / खाते का नामः सुश्री रिजवाना खान पुत्री मो. रफी खान / खाता संख्याः 1670009300002156 / उधारकर्ताः सुश्री रिजवाना खान पुत्री मो. रफी खान। पता (1) फ्लैट नंबर 3, सांई प्लाजा, सम्भोली, कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ-226024 पता (2) मकान नंबर 266/310, भदेवन वार्ड, भवानीगंज, लखनऊ-226003	मकान नंबर 266/310 सहित सम्पत्ति के सभी भाग एवं भूखण्ड, क्षेत्रफल 56.877 वर्ग मीटर (612 वर्ग फुट) भदेवन वार्ड, भवानीगंज, लखनऊ। डीड के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः शाहिद अली का मकान पश्चिमः 6 फुट चौड़ी गली उत्तरः लाला राम सरन रस्तोगी का मकान दक्षिणः जितेंद्र का मकान / स्वामित्व-सुश्री रिजवाना खान पुत्री रफीक खान।	(अ) 29.04.2025 / (ब) रू. 17,90,635.50 दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो वसूली घटाकर, 01.04.2025 से प्रभावी / (स) 08.04.2026 / (द) सांकेतिक कब्जा	(अ) रू. 15,50,000/- / (ब) रू. 1,55,000/- दिनांक 25.11.2026 / (स) रू. 10,000/-
3.	शाखा का नामः मण्डल सैम लखनऊ (शाखा-जीबी मार्ग, लखनऊ 029300) / खाते का नामः मैसर्स अल्फा एंटरप्राइजेज / खाता संख्याः 0293008700033032, 029300SG00000019 / उधारकर्ताः मैसर्स अल्फा एंटरप्राइजेज (प्रोप0 मोहम्मद रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन) पताः फ्लैट नंबर 102 ग्राउंड फ्लोर दिशा अपार्टमेंट अपोजिट नॉवेल्टी सिनेमा हॉल वार्ड अलीगंज मौजा शेखपुर कपूरथला, लखनऊ-226022 / प्रोप0/बंधककर्ताः मो0. रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मो. कमालुद्दीन पता 1. मकान नं. 8/167 सेक्टर-8 विकास नगर, लखनऊ-226022 पता 2. फ्लेट नंबर 102 ग्राउंड फ्लोर दिशा अपार्टमेंट अपोजिट नॉवेल्टी सिनेमा हॉल वार्ड अलीगंज मौजा शेखपुर कपूरथला, लखनऊ-226022	फ्लैट नंबर 102 सहित सम्पत्ति के सभी भाग एवं भूखण्ड, ग्राउण्ड फ्लोर खसरा नंबर 1712 एवं 1713 के भाग पर निर्मित बंदोबस्त-192बी मौजा शेखपुर वार्ड-अलीगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश क्षेत्रफलः 65.055 वर्ग मीटर डीड के अनुसार चौहद्दीः पूर्वः रास्ता 12 फीट पश्चिमः श्री कारी मोहम्मद दाऊद के स्वामित्व वाली इमारत उत्तरः फ्लैट नंबर 101 दक्षिणः फ्लैट नंबर 103 / स्वामित्वः मोहम्मद रेहान फारूकी पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद कमालुद्दीन	(अ) 05.11.2018 / (ब) रू. 44,30,968.25 दिनांक 31.01.2026 तक ब्याज एवं अन्य शुल्क, यदि कोई हो तो वसूली घटाकर, 01.02.2026 से प्रभावी / (स) 02.03.2019 / (द) सांकेतिक कब्जा	(अ) रू. 22,27,000/- / (ब) रू. 2,22,700/- दिनांक 25.11.2026 / (स) रू. 10,000/-

नोटः प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात अधिभार का विवरणरू कोई अतिरिक्त अधिभार ज्ञात नहीं।

नियम एवं शर्तें - बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ओर पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम एवं शर्तें की पुष्टिकरण के अधीन होगी। 1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जहाँ है वैसा है'', ''जैसा है वैसा है'' और ''जो भी हो'' के आधार पर की जायेगी। 2. बंधक सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्दिष्ट जानकारी बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंकित किये गये है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि गलत बयान या बिक्री सम्बन्धी घोषणा में हुई चूक हेतु जवाबदेही नहीं होगा। 3. सभी आवश्यक बिल/सरकारी शुल्क यानी टेलीफोन, बिजली, हाउस टैक्स आदि यदि कोई शेष हो तो, नीलामी क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। 4. बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म वेवसाइट https://baanknet.com पर की जायेगी। 5. विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnbindia.in में दिए गए लिंक को देखें।

बिक्री सूचना सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन नियम 8 (6) एवं 9 (1) के अन्तर्गत वैधानिक चेतावनी

दिनांक : 08.11.2026 **स्थानः लखनऊ** **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक प्रतिभूति क्रेडिटर**

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालयः ''स्टार हाऊस'' विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोनः 0522-2721512

ई-नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना नियम 9 (1) के तहत

यह ई-नीलामी बिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए है। इस नोटिस के माध्यम से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और ज़मानतकर्ता (कर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक मे बंधक अचल सम्पत्तियों जिनका विवरण नीचे दिया गया है तथा जिनका सांकेतिक/भौतिक कब्ज़ा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा गया है को 'जैसा हैं, जहां हैं', 'जो हैं, जैसा है' तथा 'जो कुछ भी है, के आधार पर विक्रय की जायेगी।

ईएमडी / दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.11.2026 को सायं 05:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि एवं समय 26.11.2026, प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक

क्र. सं.	खातेदार/जमानतकर्ता का नाम एवं पता/बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण एवं कब्ज़ा की स्थिति	निर्धारित आरक्षित मूल्य/अग्रिम धनराशि (₹)
शाखा- अमीनाबाद, लखनऊ, मुख्य प्रबंधक, देवेंद्र कुमार तिवारी, मो.: 9415545351			
1.	**श्रीमती वर्तिका पाण्डेय,** ई-44, रवि खण्ड, शारदा नगर, बंगला बाजार, लखनऊ-226002 (ऋणी-बंधककर्ता) **श्री मनोज कुमार पाण्डेय,** ई-44, रवि खण्ड, शारदा नगर, बंगला बाजार, लखनऊ-226002 (सह-ऋणी) **मांग सूचना की तिथिः 01.05.2024** **बकाया धनराशिः ₹17,37,069.06** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	मकान संख्या ई-15 (ईडब्ल्यूएस), रवि खण्ड, शारदा नगर, रायबरेली रोड योजना, लखनऊ, **क्षेत्रफल 31.40 वर्ग मीटर, श्रीमती वर्तिका पाण्डेय पत्नी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नाम पर** **चौहद्दीः-पूर्वः** अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** 4.5 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तरः** 4.5 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** मकान संख्या ई-16 **(कब्जा-सांकेतिक)**	₹ 33,30,000/- / ₹ 3,33,000/-
शाखा- सर्वोदय नगर, लखनऊ, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, श्री दीपक कुमार सिंह, मो.: 9795582259			
2.	**श्री रविन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप सिंह (ऋणी),** पताः ई/02/02/एच, सेक्टर-एच, कानपुर रोड योजना, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ **श्री विनय कुमार पुत्र श्री सीताराम तिवारी (जमानतकर्ता),** पताः 35-ए, ओल्ड तोपखाना, बारी रोड, बालागंज, लखनऊ, उ. प्र.-226003 **श्री अजय कुमार पुत्र श्री राम कुमार सिंह (जमानतकर्ता),** पताः 554/174 क, छोटा बरहा, आलमबाग, लखनऊ, उ. प्र.-226005 **मांग सूचना की तिथिः 13.01.2026** **बकाया धनराशिः ₹14,57,535.00** +ब्याज एवं अन्य खर्चे	प्लॉट संख्या ई-02/02/एच पर निर्मित मकान, सेक्टर-एच, कानपुर रोड योजना, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ, **क्षेत्रफलः 82.27 वर्ग मीटर, स्वामी- श्री रविन्द्र कुमार सिंह** **चौहद्दीः-पूर्वः** प्लॉट संख्या ई-02/03/एच, **पश्चिमः** प्लॉट संख्या ई-02/01/एच, **उत्तरः** एसएस टाइप प्लॉट, **दक्षिणः** 18.00 मीटर चौड़ी सड़क **(कब्जा-सांकेतिक)**	₹ 100.00 लाख / ₹ 10.00 लाख

नियम एवं शर्तेः बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर के वेब पोर्टल पर दिए गए लिंक को देखें **i.e.https://www.bankofindia.bank.in, https://baanknet.com** अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित एजीएम/मुख्य प्रबंधक / शाखा प्रबंधक को ऊपर दी गई शाखाओं व उनके फोन नम्बर पर सम्पर्क करें। नोट-न्यूनतम स्वीकार्य बोली आरक्षित मूल्य (आरपी) से रू. 10,000/- उपर होगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

दिनांकः 06.11.2026 **स्थानः लखनऊ** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया**

कार्यालय-नगर पालिका परिषद, टाण्डा-अम्बेडकरनगर

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

पत्रांकः 748/न.पा.परि.टा/विज्ञापन/2026-27 दिनांकः 06.10.2026

नगर पालिका परिषद टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर की नागरिकों से अपील

1. नगर को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2. सार्वजनिक स्थानों व रास्ते पर कूड़ा कचरा न फेके, कूड़ा कचरा सिर्फ कूड़ादान में ही डाले।
3. सूखा कूडा हरे डस्टविन में एवं गीला कूडा नीले डस्टविन में एकत्र करें।
4. अपने घरों का कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को ही दे।
5. अपने घरों में गीला एवं सूखा कूड़ा अलग-अलग सोत में पृथक कर एकत्र करने हेतु हरे एवं नीले रंग के डस्टविन का प्रयोग करें।
6. खुले में शौच न जाये। अपने घरों में शौचालय का प्रयोग करें तथा सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करें।
7. प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करें। और न ही दूसरों को करने दें। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रतिबंधित पॉलीथीन / कैरीबैग के प्रयोग करने व विक्रय करते पाये जाने पर रू0 25000.00 तक का जुर्माना हो सकता है।
8. किनारे/मार्गों/पटरियों पर भवन निर्माण सामाग्री एवं भवन विधवंश सामाग्री कतापि न रखे अन्यथा उलघ्घन की दशा में मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम-2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत रू0 50000/- तक अर्थदण्ड आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
9. बुखार होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर उपचार करायें।
10. सभी निजी सेप्टिक टैंक सफाई वाहन गौहन्ना में बने एफ०एस०टी०पी० पर फीकल पहुंचायें। जिससे जिसका शोधन किया जा सके। खुले स्थान या नदी में बहाये पर भारी जुर्माना किया जायेगा।
11. मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन०जी०टी०) द्वारा दिये गये निर्देशों/ आदेशों का अनुपालन करें।
12. सार्वजनिक मार्गों / सड़कों, गालियों एवं नालियों पर अतिक्रमण न करें।
13. खुले स्थानो/भूमि पर वृक्ष लगायें, पर्यावरण को सुरक्षित बनायें।
14. जल अमूल्य है इसका संरक्षण एवं सदुपयोग करें।
15. नगर पालिका परिषद टाण्डा के समस्त देयों / करो का भुगतान समय से करें। नगर पालिका परिषद टाण्डा के समस्त देयों/करो का भुगतान समय से करें तथा ओ०टी०एस० सुविधा का लाभ उठायें।



16. निकाय से सम्बन्धित शिकायत हेतु टोल फ्री नं0-1533 एवं 14420 पर कॉल करें।
17. पी०एम० स्वनिधि योजना अन्तर्गत रेहड़ी पटरी वालों को अपने व्यवसाय हेतु ऋण का लाभ प्राप्त करें।
18. ऊपर दिये गये सभी बिन्दुओ को केवल पढ़े नही, अमल भी करें एवं दूसरों को भी जागरूक करें।

(प्रियंका मिश्रा)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद टाण्डा
अम्बेडकरनगर

(समस्त सभासदगण)
नगर पालिका परिषद टाण्डा
अम्बेडकरनगर

(शबाना नाज)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद टाण्डा
अम्बेडकरनगर



प्रकाशक समुद्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड (एच एम वी एल) के पक्ष में हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, पाकेट-।।, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं मुद्रक समुद्र भट्टाचार्य द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड, पाकेट-।।, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।
प्रधान सम्पादक : शशि शेखर कार्यकारी संपादक : सुनील द्विवेदी * दूरभाष : लखनऊ : पी.बी.एक्स. (0522) 2306201-06, 6663296, फैक्स- 2306220, सम्पादकीय- 2306209, प्रसार- 6663266, विज्ञापन- 2306218, रजि.नं. LW/N.P.- 227, आर.एन.आई. नं. 64319/1996
*सम्पादक इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी।